डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)
अज अदालत सहायक कलक्टर नदबई
व इजलास श्री गंगाधर मीना ,आर.ए.एस

मु0 उनवान जगन्नाथ बनाम रामजीलाल

दावा बाबत् 88, 89, 188 रा0का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 115/2015

यह मुदकमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू .....– व हाजरी वादी मिनजानिब मुददठ व ..... मिनजानिब मुददालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

अतः आदेश है कि वादी वादपत्र सिद्ध करने में असफल होने के कारण दावा वादी खारिज किया जाता है।

बेज – मुबलिग – – – – – – बावत – – – – – – – – – – खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह ————फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख व सुलयाबी तक ———— की अदा करें ।

दसब्त व मुहर अदालत के आज तारीख 30.04.2024 को जारी की गई ।

मुहर

दस्तखत— 30/4/24

सहायक कलक्टर

मुददई	रूपया	पैसा	मुददालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बावत इजराय हुक्म नामा मुतफर्रिक मीजान			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बवत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान		

1. जगन्नाथ पुत्र बुडडनराम जाति ब्राह्मण निवासी न्यौंठा तहसील नदबई भरतपुर (राज.)

वादी

बनाम

1. रामजीलाल पुत्र जयसिंह जाति गुर्जर निवासी न्यौंठा तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.)
2. राज. सरकार जरिए तहसीलदार नदबई।
3. विजेन्द्र पुत्र भगवान सिंह जाति गुर्जर निवासी न्यौंठा तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.)
4. शारदा देवी पत्नी राजेन्द्रप्रसाद ब्राह्मण निवासी न्यौंठा तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.)
5. मंगतू पिसरान टीकम जाति गुर्जर निवासी न्यौंठा तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.)
6. पूरन पिसरान टीकम जाति गुर्जर निवासी न्यौंठा तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.)
7. छोटल्ली पिसरान रूग्गी जाति गुर्जर निवासी न्यौंठा तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.)
8. गोविन्द पिसरान रूग्गी जाति गुर्जर निवासी न्यौंठा तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.)
9. निर्भय पिसरान रूग्गी जाति गुर्जर निवासी न्यौंठा तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.)
10. सुमरन पिसरान रूग्गी जाति गुर्जर निवासी न्यौंठा तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.)
11. एसबीआई शाखा नदबई जरिए प्रबंधक।
12. बैंक ऑफ बडौदा शाखा नदबई जरिए प्रबंधक।

30/4/24

सहायक कलेक्टर
नदबई जिला भरतपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीना R.A.S.)

प्रकरण सं. 115/2015
किस्म दावा 88,89,188 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 30.04.2024

1. जगन्नाथ पुत्र बुडडनराम जाति ब्राह्मण निवासी न्यौंठा तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.)

वादी

बनाम

1. रामजीलाल पुत्र जयसिंह जाति गुर्जर निवासी न्यौंठा तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.)
2. राज. सरकार जरिए तहसीलदार नदबई।
3. विजेन्द्र पुत्र भगवान सिंह जाति गुर्जर निवासी न्यौंठा तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.)
4. शारदा देवी पत्नी राजेन्द्रप्रसाद ब्राह्मण निवासी न्यौंठा तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.)
5. मंगतू पिसरान टीकम जाति गुर्जर निवासी न्यौंठा तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.)
6. पूरन पिसरान टीकम जाति गुर्जर निवासी न्यौंठा तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.)
7. छोटल्ली पिसरान रूग्गी जाति गुर्जर निवासी न्यौंठा तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.)
8. गोविन्द पिसरान रूग्गी जाति गुर्जर निवासी न्यौंठा तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.)
9. निर्भय पिसरान रूग्गी जाति गुर्जर निवासी न्यौंठा तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.)
10. सुमरन पिसरान रूग्गी जाति गुर्जर निवासी न्यौंठा तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.)
11. एसबीआई शाखा नदबई जरिए प्रबंधक।
12. बैंक ऑफ बडौदा शाखा नदबई जरिए प्रबंधक।

प्रतिवादीगण

30/4/24

उपस्थित श्री लक्ष्मण सिंह एड0(वादीगण)

निर्णय

दावा 88,89,188 आर.टी.एस

1. यह कि पक्षकारान मुकदमा में कोई भी सख्स फातरूल अक्ल व नाबालिग नहीं है। सभी वादपत्र लडने योग्य है।

2. यह कि विवादित हाल आराजी खसरा नंबर 1185 रकबा 0.30 हैक्टेयर जिसका कि बंदोबस्त संवत 2060 से पूर्व का खसरा नंबर 1046 रकबा 1. 04 बीघा है तथा बंदोबस्त संवत 2028 से पूर्व का साविक खसरा नंबर 817 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा है स्थित ग्राम न्यौंठा तहसील नदबई, वादी की विभाजन से प्राप्त आराजी है जिस पर वह हैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है। और काश्त करता हुआ चला आ रहा है।

3. यह कि बंदोबस्त संवत 2028 से पूर्व विवादित आराजी साविक खसरा नंबर 817 का क्षेत्रफल 2बीघा 5 बिस्वा था जो वादी के भाई रामजीलाल पुत्र बुडडनराम के कब्जेकाश्त व खातेदारी में दर्ज थी जो कालान्तर में भाईयों के विभाजन एवं वयनामा से वादी के कुरे व खातेदारी में आयी है विवादित आराजी का संवत 2028 से पूर्व खसरा नंबर 817 मिन नंबर था जिसका क्षेत्रफल 2 बीघा 5 बिस्वा था और तदानुसार ही बंदोबस्त के पश्चात् निर्मित खसरा नंबर 1046 का क्षेत्रफल 1 बीघा 10 बिस्वा होना चाहिए था परन्तु दोनों बंदोबस्त में विवादित आराजी का क्षेत्रफल मात्र 1 बीघा 4 बिस्वा कर दिया जो दौराने बंदोबस्त की गयी भूल है जिसे वादी साविक रिकॉर्ड के रूप में दुरूस्त कराने का मुश्तहक है।

3.(क) यह कि विवादित आराजी के निकट स्थित हाल आराजी खसरा नंबर 1182 व 1183, 1184, 1205 जिनके बंदोबस्त संवत 20620 के पूर्व के साविक खसरा नंबर 1043 व 1044, 1045, 1064 है, संवत2028 से पूर्व साविक खसरा नंबर 817 से ही निर्मित है और वादी की करीब 6 एयर आराजी जो 0.08 बिस्वा है इनके उक्त खसरा नंबर में मिला दी गयी है। साविक रिकॉर्ड इसका प्रमाण है और वर्तमान में प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 10 के नाम खातेदारी में दर्ज है।

4. यह कि प्रतिवादीगण का वादी की कब्जेकाश्त एवं खातेदारी के उक्त विवादित आराजी से कोई संबंध व सरोकार किसी किस्म का नहीं रहा है परन्तु विवादित आराजी के सहारे प्रतिवादीगण के कब्जेकाश्त व खातेदारी की आराजी खसरा नंबर हाल 1182, 1183, 1184, 1205 जिनके बंदोबस्त संवत 2060 के पूर्व के साविक खसरा नंबर 1043, 1044, 1045, 1064 यह आराजी भी संवत 2028 से पूर्व साविक खसरा नंबर 817 से बने हैं। वादी की करीब 6 एयर आराजी उक्त आराजी खसरा नंबरान में समाविष्ट है जिसे वह अपने हक में दुरूस्त कराने का मुश्तहक है।

5. यह कि प्रतिवादीगण वादी की उक्त विवादित आराजी के वास्तविक क्षेत्रफल से वाखूबी वाफिक है और साविक रिकॉर्ड के क्षेत्रफल से भी गवत है परंतु वह जानबूझकर वादी की विवादित आराजी पर अतिक्रमण कर हडप करने की फिराक में है जिसकी धमकी प्रतिवादीगण ने दिनांक 15.06.2015 को मौके पर दी है तत्पश्चात् वादी ने साविक व हाल रिकार्ड प्राप्त किया और अपने कम किए हुए क्षेत्रफल को प्राप्त करने हेतु यह वादपत्र पेश किया है। यदि प्रतिवादीगण अपनी उक्त धमकी में कामयाब

30/5/21

हो गये तो वादी को इससे अपूर्ति योग्य क्षति पहुंचेगी। वर्दीवजह यह वादपत्र न्यायालय में पेश किया गया है।

6. यह कि विनाय मुखास्मत दावा हाजा योम देने धमकी प्रतिवादीगण द्वारा वादी को दिए जाने से यह वादपत्र न्यायालय में पेश किया जाना आवश्यक हुआ है। जो दिनांक 15.06.2015 को दिए जाने से पैदा हुई है।

7. यह कि अंत में प्रार्थना की कि दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री फरमाया जावे कि वादी साबिक रिकॉर्ड की रोशनी में विवादित आराजी के वास्तविक क्षेत्रफल को दुरूस्त कराकर प्राप्त करने का अधिकारी है तथा प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि विवादित आराजी में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करे।

8. वादीगण का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण तामील बावजूद भी न्यायालय हाजा उपस्थित न होने के कारण एकतरफा कार्यवाही अमल में दिनांक 23.02.2017 को लाई गई। दिनांक 09.03.2018 को प्रतिवादी संख्या 1 व 3 की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 निमय 7 पेश किया गया जो स्वीकार कर प्रतिवादी 1 व 3 की ओर से जबाव दावा पेश किए जाने हेतु अनुमति दी गई परन्तु कई अवसर दिए जाने के पश्चात् भी प्रतिवादीगण की ओर से जबाव दावा पेश नहीं किया गया। पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी नियत की गई एवं प्रतिवादीगण के खिलाफ दिनांक 05.01.21 को पुनः एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

9. यह कि वादीगण द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबंदी संबत 2071–74 प्रदर्श 1, 2067–70 प्रदर्श 2,

30/4/24

नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2060 प्रदर्श 3 व 4, नक्शा किश्तवार ग्राम न्यौंठा प्रदर्श 5, नकल नक्शा संवत 97–98 प्रदर्श 6, नकल जमाबंदी संवत 2024 प्रदर्श 9, नकल जमाबंदी संवत 2028 प्रदर्श 10, नकल जमाबंदी संवत 2028 प्रदर्श 11 लगायत 14 वाके ग्राम न्यौंठा पेश किए गए। साक्ष्य के रूप में मौखिक बयान वादी भूदेव वगै0 के पेश किए गए।

हमने वादीगण के विद्वान अधिवक्ता की एकतरफ़ा बहस को सुना व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया तो पाया कि वादी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी संवत 2071–74, वाके ग्राम न्यौंठा में खसरा नंबर 1185 रकबा 0.34 हैक्टेयर पर वादी की खातेदारी का अंकन है तथा नकल जमाबंदी संवत 2067–70 वाके ग्राम न्यौंठा में खसरा नंबर 1185 पर विभाजन से वादी की खातेदारी का अंकन किया हुआ है तथा नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2060 से खसरा नंबर 1185 का साबिक खसरा नंबर 1046 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा से बना है तथा नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2028 से खसरा नंबर 1046 के साबिक खसरा नंबर 817 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा पर रामजीलाल पुत्र बुड्डन की खातेदारी का अंकन है परन्तु साबिक खसरा नंबर 817 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा पर वादी जगन्नाथ की खातेदारी का अंकन नहीं है इसलिए वादी को उक्त विवादित आराजी को दुरूस्त करा पाने का अधिकारी नहीं है क्योंकि वादी को विभाजन में हाल आराजी खसरा नंबर 1185 रकबा 0.30 हैक्टेयर विभाजन से कुरा नंबर 1 से जो कि जमाबंदी संवत 2067–70 में प्राप्त हुई है जिसका अंकन है, को दुरूस्त करा पाने का अधिकार रामजीलाल पुत्र

30/4/24

बुड्डन को था इसके अलावा विवादित आराजी का रकबा 6 एयर कम हुआ है वह किस खसरा नंबरान में बढाया गया है यह दावा में वादी द्वारा कहीं भी स्पष्ट अंकन नहीं किया गया है। इसलिए वादी को 6 एयर रकबा को विवादित आराजी में नहीं बढाया जा सकता अतः वादी अपने वादपत्र को सिद्ध करने में असफल रहा है। दावा वादी काबिल खारिज योग्य है।

अतः आदेश है कि वादी वादपत्र सिद्ध करने में असफल होने के कारण दावा वादी खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.04.24 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट नदबई (भरतपुर) राज. सत्यमेव जयते

30/4/24

(गंगाधर मीना आरएएस)

सहायक कलक्टर

सहायक कलक्टर नदबई